न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद नायक, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 40 / 2019 प्रार्थनापत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

1. मु0 प्रेम बैवा सुरजकरण खाती निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां
2. कालुराम पिता सुरजकरण खाती निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां
3. रामपाल पिता सुरजकरण खाती निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां
4. मु0 गीता पुत्री अम्बा खाती निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां
5. रामस्वरूप पिता अम्बा खाती निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां
6. कालु रामस्वरूप माता कमला खाती निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री ईश्वर सिंह पिता देबीसिंह राजपूत निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां
2. बिहारीदास पिता माधुप्रकाश बैरवा निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां
3. धर्मराज पिता माधुप्रकाश बैरवा निवासी सांगरिया तहसील फूलियाकलां
4. छोटू कुमावत निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां
5. मु0 मंजू देवी पत्नि मूलचंद महाजन निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 31.05.2019

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थीगण के ग्राम सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर कमशः 2563 रकबा 0.08 है0, 2564 रकबा 0.01 है, 2564 रकबा 0.52 है0, 2566 रकबा 0.24 है0, 2567 रकबा 0.15 है0, 2568 रकबा 0.02 है0, 2569 रकबा 0.49 है0, 2595 रकबा 0.09 है0, 2596 रकबा 0.18 है,

2597 रकबा 0.01 है0, 2598 रकबा 0.47 है0 कुल किता 11 रकबा 2.26 है0 का प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगण जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम सांगरिया** संवत 2072 से 2075 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर **मौजा सांगरिया** मे स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात **किता 11 रकबा 2.26** हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 900/– रूपये (अक्षरे नो सौ रूपये मात्र) कायम किये जाते है जो प्रार्थीगण से तहसीलदार फूलियाकलो मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज **दिनांक 31.05.2019** को सरे इजलास सुनाया गया।

(एम0पी0 नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फुलियाकलां (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ जिला–भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ जिला–भीलवाड़ा